

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान राजकुमार बनाम बनवारी लाल आदि
 प्रकरण संख्या 46 / 2013 अन्तर्गत धारा 53, 88, 92A RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर ए जो इस पालना
--------	-----------------------------------	---------------------------

17 ⁰⁷/₂₅ अधिवक्तागण उपस्थित। प्राथना पत्र
 आदेश 23 नियम, 3PC पर सुनी गई
 बहस पर मन्नत किया गया व प्राथना
 पत्र पर पत्रावली का अवलोकन
 किया गया। लिहाजा प्राथी का प्राथना
 पत्र आदेश 23 नियम 1, 3 CPC स्वीकार
 किया जाकर नया वाद संस्थित करने
 की अनुमति दी जाकर वादी का वादपत्र
 अन्तर्गत धारा 53, 88, 92A RTA खारिज
 किया जाता है। पत्रावली गिणीति होकर
 नम्बर से काम होकर दायित्व दफ्तर हो



सहायक कमिश्नर
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)